

न्यायालय अपर समाहर्ता, पाकुड़

एम0 आर0 ए0 वाद सं0-12/2011-12

सरकार द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी, पाकुड़-बनाम-नोहामल, धन्नामल, पाकुड़।

आदेश

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर व कार्रवाई के में टिप्पणी त
01	02	03
	यह वाद अनुमंडल पदाधिकारी पाकुड़ के पत्रांक 280/डी0बी0 दिनांक-24/11/2000 के द्वारा उनके न्यायालय के स्थानान्तरित राजस्व विविध वाद अभिलेख संख्या-280/डी0बी0 द्वारा उपायुक्त पाकुड़ के न्यायालय से अंतरित है। प्रश्नगत भूमि मौजा मालपहाड़ी जमाबंदी नं0-01/05 के दाग नं0 227 रकवा -01-03-00 धूर भूमि की जमाबंदी है नोहामल, धन्नामल, पाकुड़ के नाम पर अवैध रूप से कायम जमाबंदी को रद्द करने हेतु प्रस्ताव भेजा है। अभिलेख का अवलोकन किया गया। Online खतियान एवं पंजी-11 अवलोकन से सपष्ट होता है कि मौजा-मालपहाड़ी, होल्डिंग सं0-05 जमाबंदी सं0-227 एवं अन्य रैयती खाते की है जिसके रैयत का नाम छोटा किशन बेसरा, पिता-धना बेसरा, जाति संथाल निवासी सानिजग्राम, दर्ज है। रैयती भूमि के जमाबंदी सृजन का विचारण इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत नहीं है इसके लिए सिविल कोर्ट सक्षम है। अतः वाद की कार्रवाई Drop की जाती है। आदेश से उभय पक्ष को अवगत कराये। लेखापित संशोधित।  21.10.2023 अपर समाहर्ता, पाकुड़।  21.10.2023 अपर समाहर्ता, पाकुड़।	